

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3046
गुरुवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

सौर ऊर्जा

3046. श्रीमती संध्या राय:

श्री सी.पी. जोशी:

डॉ. मनोज राजोरिया: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार की देश में विशेषकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में, सौर ऊर्जा पहल के अंतर्गत आने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सौर ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष वित्तीय सहायता अथवा राजसहायता प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) राजस्थान और मध्य प्रदेश में निकट भविष्य में सौर ऊर्जा से संबंधित प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर. के. सिंह)

- (क) सरकार ने मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों सहित, देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। योजनाओं का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।
- (ख) सरकार, विभिन्न योजनाओं के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता देती है। ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।
- (ग) केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 29.11.2023 को 24,104 करोड़ रुपये (केन्द्रीय हिस्सा: 15,336 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सा: 8,768 करोड़ रुपये) के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) को अनुमोदन प्रदान किया, ताकि नौ संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से ग्यारह महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। योजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों सहित पूरे देश को शामिल किया गया है। इस योजना में, अन्य के साथ-साथ, विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) के ऐसे क्षेत्रों में एक लाख गैर-विद्युतीकृत घरों का सौरीकरण शामिल है, जहां ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के प्रावधान द्वारा ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से संभव नहीं है। इसके अलावा, इसमें पीवीटीजी क्षेत्रों में 1500 बहु-उद्देशीय केंद्रों में सौर लाइटें प्रदान करने का प्रावधान शामिल है।

‘सौर ऊर्जा’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 21.12.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3046 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

देश में सौर ऊर्जा के लाभ प्रदान करने के लिए चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं की सूची

1. 40,000 मेगावाट सौर विद्युत परियोजनाओं का लक्ष्य रखते हुए, कम-से-कम 50 सौर पार्कों की स्थापना के लिए सौर पार्क योजना
2. व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) के साथ सरकारी उत्पादकों द्वारा 12,000 मेगावाट की ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए योजना
3. ग्रिड संबद्ध सौर रूफटॉप विद्युत संयंत्रों की स्थापना
4. प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)
5. “राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम” के तहत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना
6. इन्ट्रा-स्टेट पारेषण प्रणाली के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना।

‘सौर ऊर्जा’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 21.12.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3046 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

प्रमुख अक्षय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में दिए जा रहे प्रोत्साहन

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार इस समय पात्र प्रोत्साहन
क) ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर पीवी विद्युत परियोजनाएं	<p>(i) आवासीय क्षेत्र के लिए</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 किलोवाट पीक तक की क्षमता के लिए 40 प्रतिशत तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) 3 किलोवाट पीक से अधिक और 10 किलोवाट पीक तक की क्षमता के लिए 20 प्रतिशत तक सीएफए 500 किलोवाट पीक तक की जीएचएस/आरडब्ल्यूए क्षमता के लिए 20 प्रतिशत तक सीएफए (प्रति घर 10 किलोवाट पीक तक और कुल 500 किलोवाट पीक तक सीमित) <p>(ii) डिस्कॉमों के लिए - बेसलाइन से अधिक क्षमता वृद्धि में उपलब्धियों के आधार पर, परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक प्रोत्साहन। मंत्रालय ने अपने दिनांक 27.01.2023 के का.ज्ञा. के तहत, देशभर के लिए सीएफए निर्धारित किया है। संशोधित सीएफए दरें, सभी भविष्य की बोलियों और इस का.ज्ञा. के जारी होने के 15 दिनों के बाद बंद होने के लिए निर्धारित बोलियों के लिए लागू होंगी।</p> <p>संशोधित दरें इस प्रकार हैं:</p> <p>सामान्य श्रेणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> व्यक्तिगत परिवार - पहले 3 किलोवाट के लिए: 14588/- रु. प्रति किलोवाट और 3 किलोवाट से अधिक एवं 10 किलोवाट तक की आरटीएस क्षमता के लिए: 7294/- रु. प्रति किलोवाट। आवासीय कल्याण समितियों/समूह आवास सोसायटी (आरडब्ल्यूए/जीएचएस) - 500 किलोवाट पीक तक की साझा सुविधाओं के लिए प्रति मकान 10 किलोवाट पीक की दर से 7294/- रु. प्रति किलोवाट। <p>विशेष श्रेणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> व्यक्तिगत परिवार - पहले 3 किलोवाट के लिए: 17662/- रु. प्रति किलोवाट और 3 किलोवाट से अधिक एवं 10 किलोवाट तक की आरटीएस क्षमता के लिए: 8831/- रु. प्रति किलोवाट। आवासीय कल्याण समितियों/समूह आवास सोसायटी (आरडब्ल्यूए/जीएचएस) - 500 किलोवाट पीक तक की साझा सुविधाओं के लिए, प्रति मकान 10 किलोवाट पीक की दर से 8831/- रु. प्रति किलोवाट।
ख) सरकारी उत्पादकों द्वारा ग्रिड-संबद्ध सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना	प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए सीपीएसयू/सरकारी संगठनों, संस्थाओं को 55 लाख रु. प्रति मेगावाट तक की व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता।

चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।	
ग) पीएलआई योजना 'राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम'	लाभार्थी, सौर पीवी मॉड्यूलों के उत्पादन और बिक्री पर उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए पात्र हैं। वितरण के लिए पात्र पीएलआई की मात्रा निर्भर करती है: (i) सौर पीवी मॉड्यूलों की बिक्री की मात्रा, (ii) बेचे गए सौर पीवी मॉड्यूलों के प्रदर्शन मानदंड [अधिकतम विद्युत की क्षमता एवं ताप गुणांक (टेंपरेचर कोएफिशियेंट)]; और (iii) बेचे गए मॉड्यूलों में स्थानीय मूल्य वृद्धि का प्रतिशत।
घ) सौर पार्क योजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 25 लाख रु. प्रति सौर पार्क तक। अवसंरचना के विकास के लिए प्रति मेगावाट 20 लाख रु. या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो।
ड) पीएम-कुसुम योजना	घटक-क: 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना। उपलब्ध लाभ: इस योजना के तहत सौर विद्युत की खरीद के लिए डिस्कॉमों को 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटे की दर से या 6.60 लाख रु. प्रति मेगावाट प्रति वर्ष, जो भी कम हो, की दर से खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई)। यह पीबीआई संयंत्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए डिस्कॉमों को दिया जाता है। इस प्रकार, डिस्कॉमों को देय कुल पीबीआई प्रति मेगावाट 33 लाख रु. है। घटक-ख: 20 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना। उपलब्ध लाभ: स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड-अलोन सौर पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, के लिए 50% की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी। घटक-ग: फीडर स्तरीय सौरीकरण के जरिए 15 लाख ग्रिड-संबद्ध कृषि पंपों का सौरीकरण। उपलब्ध लाभ: (क) व्यक्तिगत पंप का सौरीकरण: सौर पीवी घटक की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में सौर पीवी कंपोनेंट की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 50% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। (ख) फीडर स्तरीय सौरीकरण: एमएनआरई से उपलब्ध 1.05 करोड़ रु. प्रति मेगावाट की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ राज्य सरकार द्वारा कृषि फीडरों का सौरीकरण, कैपेक्स अथवा रेस्को मोड में किया जा सकता है।
च) हरित ऊर्जा कॉरिडोर योजना (अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इंद्रा-स्टेट पारेषण प्रणाली के विकास के लिए)	जीईसी चरण-I: डीपीआर लागत अथवा आवंटित लागत, इनमें से जो भी कम हो, की 40% केन्द्रीय वित्तीय सहायता। जीईसी चरण-II: डीपीआर लागत अथवा आवंटित लागत, इनमें से जो भी कम हो, की 33% केन्द्रीय वित्तीय सहायता।
